

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2008

सा.का.नि. 232(अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) और (2) तथा नियम 7 के उप नियम (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय मणिपुर-त्रिपुरा सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) अष्टम संशोधन विनियमावली, 2008 है ।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "मणिपुर-त्रिपुरा" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

मणिपुर-त्रिपुरा

1. संयुक्त संवर्ग के अन्तर्गत वरिष्ठ इयूटी पद - 107
- (i) मणिपुर सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ इयूटी पद - 52

पदों का नाम	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
सरकार के मुख्य सचिव	1	—

अपर सचिव	1	2
सरकार के प्रधान सचिव	1	2
आयुक्त	9	2
आवासीय आयुक्त मणिपुर, नई दिल्ली	1	2
राज्य प्रशिक्षण अकादमी महानिरीक्षक	1	2
राज्यपाल के सचिव	1	2
मुख्यमंत्री के सचिव	1	2
सरकार के सचिव	8	2
सचिव, लोक सेवा आयोग	1	2
विशेष/अपर/संयुक्त/उप-सचिव	2	2
उपायुक्त	8	2
उपायुक्त, पूर्वी इम्फाल	1	2
जिला नियोजन अधिकारी सह अपर उपायुक्त		
सह-अपर जिला मजिस्ट्रेट	2	2
आयुक्त, विभागीय जाँच	1	2
उत्पाद आयुक्त	1	2
आयुक्त, कर	1	2
सतर्कता निदेशक	1	2
निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति	1	2
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	1	2
भूमि रिकार्ड एवं समाधान निदेशक	1	2
निदेशक, पर्यटन	1	2
निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क	1	2
निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग	1	2
निदेशक, परिवहन	1	2
निदेशक, जनजातीय एवं पिछड़ा वर्ग विकास विभाग	1	2
निदेशक, नगर प्रशासन एवं शहरी विकास	1	2
निदेशक, युवा मामले एवं खेलकूद	1	2
कुल	52	

(ii) त्रिपुरा राज्य सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ इयूटी पद

55

पदों का नाम	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
सरकार के मुख्य सचिव	1	—
सरकार के प्रमुख सचिव	2	2
सरकार के आयुक्त सह सचिव	5	2
राज्यपाल के विशेष सचिव	1	2
आवासीय आयुक्त, त्रिपुरा	1	2
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद	1	2
सरकार के सचिव	8	2
मुख्यमंत्री के सचिव	1	2
लोक सेवा आयोग के सचिव	1	2
सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप-सचिव	9	2
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर	4	2
अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर	3	2
निदेशक, उच्च शिक्षा	1	2
निदेशक, स्कूल शिक्षा	1	2
निदेशक, सतर्कता	1	2
निदेशक, समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा	1	2
निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1	2
निदेशक, भूमि रिकार्ड एवं समाधान	1	2
निदेशक, सूचना, सांस्कृतिक मामले तथा पर्यटन	1	2
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	1	2
निदेशक, जनजाति कल्याण	1	2
निदेशक, जनजातीय एवं पिछड़ा वर्ग विकास विभाग	1	2
श्रम आयुक्त	1	2
उत्पाद एवं कर आयुक्त	1	2
आयुक्त, जाँच विभाग	1	2
निदेशक, लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास राज्य संस्थान	1	2
निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	1	2
निदेशक, युवा मामले एवं खेलकूद	1	2

निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	2
निदेशक, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं रेशम	1	2
कुल	55	

2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत की दर से	43
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत की दर से	27
4.	प्रशिक्षण रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत की दर से	03
5.	छुट्टी रिज़र्व और कनिष्ठ पद रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	17
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	60
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद संख्या 1+2+3+4+5-6)	138
	सीधी भर्ती वाले पद	138
	पदोन्नति वाले पद	60
	कुल प्राधिकृत संख्या	198"

[सं. 11031/2/2005-अ.भा.से.-II(क)]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी (1) : इस अधिसूचना के जारी करने के पूर्व मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 198 थी ।

टिप्पणी (2) : मूल विनियम 22 अक्टूबर, 1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् मणिपुर-त्रिपुरा के संबंध में इन विनियमों में

संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं और तारीखों द्वारा किए गए ।

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	दिनांक	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	दिनांक
1	21	12.01.1974	9	769	26.07.1980
2	724	13.07.1974	10	702अ	17.12.1980
3	233अ	17.03.1976	11	609	17.07.1982
4	44अ	28.01.1977	12	1242	15.12.1984
5	867	09.07.1977	13	294	16.04.1988
6	665	27.05.1978	14	5	09.12.1993
7	1325	11.11.1978	15	21अ	05.01.2000
8	471	31.03.1979	16	230	12.06.2000

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2008

G.S.R. 232(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 and sub-clause (C) of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Governments of Manipur and Tripura, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Eight Amendment Regulations, 2008.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Manipur-Tripura" and the entries occurring thereafter, the following shall be substituted namely:-

"MANIPUR-TRIPURA"

1. **Senior Duty Posts under the Joint Cadre** 107
- (i) **Senior Duty Posts under the State Government of MANIPUR** 52

Name of the Post	Number of posts	Minimum tenure of postings (In years)
Chief Secretary to the Government	1	-
Additional Chief Secretary	1	2

Principal Secretary to Government	1	2
Commissioners	9	2
Resident Commissioner, Manipur, New Delhi	1	2
Director General of State Academy of Training	1	2
Secretary to Governor	1	2
Secretary to Chief Minister	1	2
Secretary to Government	8	2
Secretary to Public Service Commission	1	2
Special/Additional/Joint/Deputy Secretary	2	2
Deputy Commissioner	8	2
Deputy Commissioner, Imphal East	1	2
District Planning Officer-Cum-Additional Deputy Commissioner-Cum-Additional District Magistrate	2	2
Commissioner for Departmental Enquiries	1	2
Commissioner for Excise	1	2
Commissioner for Taxes	1	2
Director of Vigilance	1	2
Director of Food and Civil Supplies	1	2
Registrar of Cooperative Societies	1	2
Director of Land Records and Settlement	1	2
Director of Tourism	1	2
Director of Information and Public Relations	1	2
Director of Commerce and Industries	1	2
Director of Transport	1	2
Director, Department for Development of Tribal and Backward Classes	1	2
Director of Municipal Administration and Urban Development	1	2
Director of Youth Affairs and Sports	1	2
TOTAL	52	
(ii) Senior Duty Posts under the State Government TRIPURA	55	

Name of the Posts	Number of posts	Minimum tenure of posting (in years)
Chief Secretary	1	-
Principal Secretary to the Government	2	2
Commissioner-cum-Secretary to Government	5	2
Special Secretary to Governor	1	2
Resident Commissioner, Tripura	1	2
Chief Executive Officer, Tripura Tribal Area Autonomous District Council	1	2

Secretary to Government	8	2
Secretary to Chief Minister	1	2
Secretary to Public Service Commission	1	2
Additional Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary to Government	9	2
District Magistrate and Collector	4	2
Additional District Magistrate and Collector	3	2
Director of Higher Education	1	2
Director of School Education	1	2
Director of Vigilance	1	2
Director of Social Welfare and Social Education	1	2
Director of Food and Civil Supplies	1	2
Director of Land Records and Settlement	1	2
Director of Information, Cultural Affairs and Tourism	1	2
Registrar of Cooperative Societies	1	2
Director of Welfare for Scheduled Tribes	1	2
Director of Welfare for Scheduled Castes and OBCs	1	2
Labour Commissioner	1	2
Commissioner of Excise and Taxes	1	2
Commissioner for Departmental Enquiries	1	2
Director of State Institute of Public Administration and Rural Development	1	2
Director of Industries and Commerce	1	2
Director, Youth Affairs and Sports	1	2
Director of Information and Technology	1	2
Director of Handloom, Handicraft and Sericulture	1	2
TOTAL	55	
2 Central Deputation Reserve @ 40% of item 1 above	43	
3 State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	27	
4 Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	3	
5 Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	17	
6. Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1,2,3 & 4 above	60	
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	138	

Direct Recruitment Posts	138
Promotion Posts	60
Total Authorised Strength	198"

[No. 11031/2/2005-AIS. II(A)]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

Note 1 : Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of the Manipur-Tripura Joint Cadre was 198.

Note 2 : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated the 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Manipur-Tripura Joint Cadre vide the following GSR Nos. and dates:-

S.No.	GSR No.	DATE	S.No.	GSR No.	DATE
1	21	12.01.1974	9	769	26.07.1980
2	724	13.07.1974	10	702E	17.12.1980
3	233E	17.03.1976	11	609	17.07.1982
4	44E	28.01.1977	12	1242	15.12.1984
5	867	09.07.1977	13	294	16.04.1988
6	665	27.05.1978	14	5	09.12.1993
7	1325	11.11.19788	15	21E	05.01.2000
8	471	31.03.1979	16	230	12.06.2000